राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

किशोर बुक डिपो

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग

जयपुर-302 001

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)
तथा
संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा - 20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात :-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं के प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों, या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

1. राज. राज-पत्र विशेषांक 4(क) दिनांक 17-5-95 द्वारा अन्त: स्थापित किया गया।

10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।

11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटोकापी/स्थाई निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 8, एवं शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60% निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।

15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।

16. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु आवेदक सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।

17. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।

18. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

19. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

एस. आर. बाल विद्यामन्दिर समिति/~~सोसाइटी/संस्थान/संस्था~~

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम :-** इस संस्था का नाम एस. आर. बाल विद्या मन्दिर समिति/~~सोसाइटी/संस्थान/संस्था~~ है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र :-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ~~जयपुर~~ भैंसावा (त० फुलेरा) है। जिला जयपुर क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य :-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

(1.) संबंधित विद्यालय के लिए एक विकास कोष बनाना जिससे विद्यालय के भवन, उपस्कर एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित विकास के कार्य किए जा सकें।

(2.) अनु. जाति, जन जाति, गरीब मजदूरों तथा किसानों के बच्चों को अच्छी स्तर शिक्षा देना।

(3.) विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों, सामान्य जनता एवं अन्य दानदाताओं से फीस प्राप्त कर विद्यालय का विकास करना।

(4) विद्यालय भवन के विस्तार एवं अन्य परि-सम्पत्तियों के लिए राज्य सरकार की जन सहभागिता आधारित योजनाओं से संस्था विकास कोष के योगदान के आधार पर विकास कार्य करवाना।

(5) विद्यालय क्षेत्र में अध्ययन के अलावा वृक्षारोपण, खेल, कूद प्रतियोगिताएँ करवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना तथा अच्छे स्तर की शिक्षा देना।

(6) अन्य उद्देश्य, जिससे संस्था की परि-सम्पत्तियों का बेहतर उपयोग हो सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री बन्शीधर चौधरी पु० श्री ईश्वर राम	कृषि	मु० पो० भैंसावा वाया-रेनवाल जिला-जयपुर (राज०)	अध्यक्ष
2.	श्री भैरू राम ऐचरा पु० श्री लादूराम ऐचरा	कर्मचारी	मु० पो० मुण्डामान वाया-रेनवाल जिला-जयपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्री हरफूल सिंह पु० श्री सवाईराम	अध्यापन	मु० पो० भैंसावा वाया-रेनवाल जिला-जयपुर	मंत्री (सचिव)
4.	श्री महेश ऐचरा पु० श्री भैरू राम	व्यापारी	मु० मुण्डामान पो० भैंसावा वाया-रेनवाल जिला-जयपुर (राज०)	उपमंत्री
5.	श्री सुरेश कुमार खेदड़ पु० श्री रामचन्द्र खेदड़	अध्यापन	मु० पो० [illegible]	कोषाध्यक्ष
6.	श्री राम चन्द्र सोनी पु० श्री नारायन सोनी	स्वर्णकार	मु० पो० भैंसावा वाया-रेनवाल जिला जयपुर (राज०)	सदस्य
7.	[illegible] डीडलडा पु० श्री लादूराम डीडल	अध्यापन M.A.	मु० पो० मुण्डोती त० फुलेरा वाया-रेनवाल	सदस्य
8.	श्री [illegible] शर्मा पुत्र श्री [illegible] ग्राम पोस्ट लसाड़िया तह० फागी जिला-जयपुर (राज०) 303005	विद्यार्थी B.A.	ग्राम पोस्ट लसाड़िया तह० फागी जिला-जयपुर (राज०) 303008	सदस्य
9.				

रजिस्ट्रार ... सत्यमेव जयते

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :–

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री बन्शीधर चौधरी S/O श्री ईश्वर राम	कृषि	मु. पो. भैंसावा वाया-रेनवाल, जिला-जयपुर	[signature]
2.	श्री भैरु राम ऐचरा S/O श्री लादू राम ऐचरा	कर्मचारी	मु. पो. गुढ़ामान वाया रेनवाल	[signature]
3.	श्री हरफूल सिंह S/O श्री सवाई राम	अध्यापन	मु. पो. भैंसावा वाया-रेनवाल जिला जयपुर (राज.)	[signature]
4.	श्री महेश कुमार ऐचरा S/O श्री भैरु राम ऐचरा	व्यापारी	मु. गुढ़ामान पो. भैंसावा वाया-रेनवाल जिला-जयपुर (राज.)	[signature]
5.	श्री सुरेश कुमार [illegible] S/O श्री [illegible]	अध्यापन	मु. पो. [illegible] [illegible]	[signature]
6.	श्री रमेश चन्द्र सोनी S/O श्री नारायण सोनी	स्वर्णकार	मु. पो. भैंसावा वाया-रेनवाल जिला जयपुर (राज.)	[signature]
7.	श्री हीरालाल कुड़ी S/O श्री दल्ला राम	कृषि	मु. पो. भैंसावा वाया-रेनवाल जयपुर	[signature]
8.	श्री रामनारायण [illegible] S/O श्री लक्ष्मीनारायण [illegible]	व्यापारी	मु. पो. भैंसावा वाया-रेनवाल जिला-जयपुर	[signature]
9.	श्री अर्जुनलाल चाँदीवाल S/O श्री रामनारायण चाँदीवाल	कृषि	मु. गुढ़ामान पो. भैंसावा वाया-रेनवाल	अर्जुन लाल

[signature] अध्यक्ष [signature] मन्त्री [signature] कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	श्री खड़ा राम कुड़ी S/o श्री सूतराम कुड़ी	कृषि	मु.पो. भैंसावा बापा-रेनवाल जिला-जयपुर (राज.)	खड़ाराम
11.	श्री रामेश्वर पूनिया S/o श्री नारायण पूनिया	कृषि	मु.पो. भैंसावा बापा-रेनवाल जिला जयपुर	[illegible]
12.	श्री महादेव मीणा S/o श्री बीझाराम मीणा	कर्मचारी	मु.पो. गुढ़ा मानसिंह भैंसावा बाया-रेनवाल (जयपुर)	महादेवमीणा
13.	श्री गोपाल लाल कुड़ी S/o श्री अमरा राम	व्यापारी	मु.पो. भैंसावा बापा-रेनवाल जिला जयपुर	गोपाल
14.	श्री खड़ा राम कड़वाल S/o श्री किशनाराम	कृषि	मु.पो. भैंसावा बापा-रेनवाल जिला जयपुर (राज.)	कड़ाराम
15.	श्री जीवन राम कड़वाल S/o श्री [illegible] राम कड़वाल	कृषि	मु.पो. भैंसावा बापा-रेनवाल जिला-जयपुर	[illegible]
16.	श्री भंवर लाल [illegible] S/o श्री जगन्नाथ [illegible]	कृषि (सरपंच)	मु.पो. भैंसावा बापा-रेनवाल जिला जयपुर (राज.)	भंवर लाल
17.	श्री [illegible] लाल डिडल S/o श्री लादूराम डिडल	अध्यापन M.A.	मु.पो. मुण्डोती वा. फुलेरा बापा-रेनवाल (जयपुर)	[illegible]
18.	श्री भागीरथमल जाखड़ S/o श्री [illegible] जाट ~~[illegible]~~	अध्यापन B.A.	मु.पो. लसाड़िया तहसील फागी जिला-जयपुर (राज.)	[illegible]

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19.				
20.				

2. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(1) संस्था का पंजियन क्रमांक 279
(2) संस्था का नाम ...
(3) ...
(4) ... 16/2
(5) दिनांक ... 16/8/99
(6) हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ...

(साक्षी) (साक्षी)

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

श्री नन्द लाल कडवासी
नौकरी
मु० पो० भैसावा
वाया - रैनवाल
जिला - जयपुर
राज०

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

श्री मन्ना राम कु
कृषि
मु० ...
पो० जोरपुरा
वाया - रैनवाल
जिला - जयपुर (राज०)

ATTESTED

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

हस्ताक्षर ... 15/4/99
16/8/99
17/8/99
रजिस्ट्रार ...
जयपुर

नाम संस्था एस० आर० बाल विद्या मन्दिर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम :–** इस संस्था का नाम एस० आर० बाल विद्या मन्दिर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र :–** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय चैंसावा है तथा इसका कार्य क्षेत्र [redacted] जिला जयपुर क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य :–** इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. संबंधित विद्यालय के लिए एक विकास कोष बनाना, जिससे विद्यालय के भवन उपस्कर एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित विकास के कार्य किये जा सकें।
2. अनुसूचित जाति, जन जाति एवं गरीब मजदूरों तथा किसानों के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देना।
3. विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुभवों, अभिभावकों एवं अन्य दान व फीस प्राप्त कर विद्यालय का विकास करना।
4. विद्यालय भवन के विस्तार एवं अन्य परिसम्पत्तियों के लिए राज्य सरकार की जनसहभागिता आधारित योजनाओं से
5. संस्था विकास कोष के योगदान के आधार पर विकास कार्य करना।
6. विद्यालय क्षेत्र में अध्ययन के अलावा वृक्षारोपण, खेलकूद प्रतियोगितायें करवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना तथा उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करवाना।
7. अन्य उद्देश्य, जिससे संस्था की परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग हो सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

4. **सदस्यता :-** **निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-**

1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2- बालिग हों।

3- पागल, दीवालिये न हों।

4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. **सदस्यों का वर्गीकरण :-** **संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-**

1-संरक्षक

2-विशिष्ठ

3-सम्माननीय

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. **सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :-** **उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-**

1-संरक्षक राशि....2100/-.........वार्षिक/आजन्म

2-विशिष्ठ राशि....1100/-.........वार्षिक/आजन्म

3-सम्माननीय राशि.........................वार्षिक

4-साधारण राशि.........................वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. ....

की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. **सदस्यता से निष्कासन :-** **संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-**

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग-पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:-

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :-

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक   2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक   4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में...पदाधिकारी व सदस्य..................................... कुल ....सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें :–

1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :–

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष **मन्त्री** **कोषाध्यक्ष**

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :- **संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-**

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

17. **कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–** संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :–

1-अध्यक्ष 21001/- रु.

2-मन्त्री 11001/- रु.

3-कोषाध्यक्ष .... रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. **संस्था का अंकेक्षण :–** संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. **संस्था के विधान में परिवर्तन :–** संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. **संस्था का विघटन :–** यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. **संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :–** रजिस्ट्रार संस्थाएं एस. आर. बाल विद्या मन्दिर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) एस. आर. बाल विद्या मन्दिर .... समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

(1) संस्था का पंजियन क्रमांक 279
(2) संस्था का नाम एस. आर. बाल विद्या मंदिर समिति
(3) किस्म दस्तावेज प्रति
(4) दस्तावेज की रु. 16/-
(5) दिनांक पंजियन 16/8/99
(6) हस्ताक्षर रजिस्ट्री

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह सही नकल
हस्ताक्षर पढ़ने वाले के ....
हस्ताक्षर मुकाबला करने वाले के ....
नकल हेतु प्रार्थना पत्र देने की तिथि 15/4/99
नकल तैयार होने की तिथि 16/8/99
नकल देने की तिथि 17/8/99